

# कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, धौलपुर

क्रमांक: स्था./2026/297

दिनांक: 14/01/2026

प्रेषिति : अध्यक्ष,  
अभिभाषक संघ, धौलपुर/बाड़ी/बसेड़ी/राजाखेड़ा/सरमथुरा

विषय : Information Regarding e-True Copy Portal.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा e-True Copy Portal को प्रारम्भ किया गया है। पोर्टल के उपयोग के लिए माननीय राज. उच्च न्यायालय (<https://hcraj.nic.in>) की वेब साईट पर **e-True Copy-->>Apply** अथवा जिला न्यायालय (<https://dholpur.dcourts.gov.in/>) की वेब साईट पर **Quick Link-->> e-True Copy** विकल्प पर उपलब्ध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की SOP में प्रदान निम्नांकित महत्वपूर्ण निर्देश दिए गये हैं जो कि इस प्रकार हैं :-

- (1) अधिवक्तागण/आमजन को सर्वप्रथम को **e-True Copy** के लिए पर **e-True Copy Portal** पर लॉगिन करना होगा।
- (2) लॉगिन के उपरान्त सर्वप्रथम अधिवक्तागण को अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा जो कि एक बार रजिस्टर होगा जिसकी आईडी एवं पासवर्ड उपलब्ध प्राप्त होंगे।
- (3) रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य है कि अधिवक्ता का मोबाईल नंबर सीआईएस में दर्ज हो यदि अधिवक्ता का सीआईएस में मोबाईल नंबर रजिस्टर नहीं है तो कृपया ईकोर्ट, जिला न्यायालय पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन प्रस्तुत करें। इस हेतु शीघ्र आनलाईन प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया जायेगा, जिसके माध्यम से भी अधिवक्तागण सीआईएस में अपना रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे।
- (4) आमजन उसी प्रकरण में प्रतिलिपि प्राप्त कर सकेंगे जिसमें उनका मोबाईल नंबर सीआईएस में दर्ज है। अतः यह आवश्यक है कि पक्षकारान के मोबाईल नंबर सीआईएस में प्रकरण प्रस्तुत करते समय आवश्यक रूप से अंकित करें। यदि पक्षकारान की ई मेल आईडी भी उपलब्ध हो तो अंकित करें ताकि भविष्य में ई प्रतिलिपि के माध्यम से प्रतिलिपि को जरिये Automated से ईमेल पर भी प्रेषित किया जा सके।
- (5) जिस प्रकरण में अधिवक्ता का नाम सीआईएस में उपलब्ध है उसी प्रकरण के सीएनआर नंबर दर्ज करने पर प्रकरण की जानकारी ई प्रतिलिपि के लिए प्राप्त होगी।
- (6) **e-True Copy Portal** पर ई प्रतिलिपि के दो विकल्प उपलब्ध हैं **Apply Online & Apply Physically**. यदि सीआईएस में प्रकरण उपलब्ध है तो आनलाईन माध्यम से प्रेषित किया जाना है एवं यदि प्रकरण सीआईएस में उपलब्ध नहीं है तो **Apply Physically** माध्यम में जाकर ई प्रतिलिपि फार्म में भरा जाना है। उसके बाद फार्म स्वतः ही प्रतिलिपि शाखा में उपलब्ध हो जायेगा जिसके बाद आगे की कार्यवाही प्रतिलिपि शाखा द्वारा की जायेगी एवं आवेदक को एसएमएस नोटिफिकेशन प्राप्त होगा तथा साथ ही पोर्टल पर भी अपने आवेदन को Track कर सकते हैं।

(7) *e-True Copy Portal* पर ई प्रतिलिपि के प्रकरण का 16 डिजिट का सीएनआर नंबर (CNR No.) दर्ज करना अनिवार्य है। सीएनआर नंबर को ई कोर्ट सर्विसेज मोबाईल एप व ई कोर्ट सर्विसेज वेबसाइट अथवा सीआईएस प्राप्त किया जा सकता है।

(8) *Online / Apply Physically* दोनों ही माध्यम में ई प्रतिलिपि फार्म पोर्टल से भरा जाना आवश्यक है। अतः पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करावें।

(9) प्रत्येक ई-सत्यात्मक प्रति के साथ एक प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र संलग्न होगा, जिसमें आवेदन विवरण, ई-सत्यात्मक प्रति का विवरण, सिस्टम द्वारा जनरेट किया गया यूडीआरएन और हैश मान शामिल होंगे। यदि एकाधिक ई-सत्यात्मक प्रतियां जारी की जाती हैं, तो प्रत्येक प्रति का एक अलग यूडीआरएन होगा।

(10) प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र के बिना कोई भी ई-सत्य प्रतिलिपि अमान्य मानी जाएगी। ई-सत्य प्रतिलिपि प्रमाणीकरण प्रमाणपत्र के साथ तभी प्रस्तुत की जानी चाहिए जब उसमें निहित घोषणा, यह प्रमाणित करती हो कि ई-सत्य प्रतिलिपि के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई है, विधिवत हस्ताक्षरित हो।

(11) राजस्थान उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। ई-टू कॉपी मेनू के अंतर्गत प्रमाणीकरण विकल्प पर जाएं (*e-True Copy-->>Authenticate*), यूडीआरएन दर्ज करें, और उसके बाद आवेदक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके प्रामाणिकता सत्यापित करें।

(12) न्यायालय या संस्था आवेदक को सत्यापन हेतु आवश्यकतानुसार ई-सच्चाई प्रति की हार्ड कॉपी या सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करने का निर्देश दे सकती है।

(13) एक बार ई-टू कॉपी का उसके यूडीआरएन का उपयोग करके सत्यापन हो जाने पर, यूडीआरएन स्वचालित रूप से रद्द/निष्क्रिय हो जाएगा।

(14) विस्तृत जानकारी के लिए, ई-टू कॉपी पोर्टल के "डाउनलोड" टैब के अंतर्गत सहायता पुस्तिका भी उपलब्ध है।

इसी क्रम में आपके उपयोगार्थ संलग्न लॉगिन प्रक्रिया के साथ ही नियम, एसओपी, हेल्प मैनुअल जरिये ईमेल सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आपसे आशा की जाती है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के e-True Copy प्रक्रिया को सफल बनाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे तथा तकनीकी समस्या के लिए जिला न्यायालय, धौलपुर के सिस्टम असिस्टेंट श्री मुकेश चन्द बैरबा 9782376374 से संपर्क कर सकते हैं।

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर

क्रमांक: स्था./2026/298-301

दिनांक: 14/01/2026

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अध्यक्ष, ई-कोर्ट समिति, विशिष्ट न्यायाधीश, अ.जा./अ.ज.जा., धौलपुर
2. समस्त न्यायालय, धौलपुर न्यायक्षेत्र
3. वरिष्ठ मुंसरिम, जिला न्यायालय, धौलपुर
4. सिस्टम सहायक, जिला न्यायालय, धौलपुर

जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
धौलपुर